"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मई 2014—ज्येष्ठ 7, शक 1936

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2014

क्रमांक 64/स्था./2014/10568.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना क्रमांक 154/CHH/2014/EPS दिनांक 23 मई, 2014 छ. ग. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की नियुक्ति एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(टी. टी. सिंह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

नई दिल्ली, तारीख 23 मई, 2014 —— 2 ज्येष्ठ, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं. 154/पी.बी./2014/नि.यो.अ. – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13–क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ राज्य सरकार के परामर्श से एतदद्वारा, **श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से- (आर.आर. : 1994)**, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए छत्तीसगढ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है ।

2. **श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से** छत्तीसगढ राज्य सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे ।

3. **श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से (आर.आर. : 1994)**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ राज्य के रूप में कार्य करते हुए छत्तीसगढ राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा ।

आदेश से,

हस्ता./-
(सुमित मुखर्जी)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 23rd May, 2014—2 Jyaishtha, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154/CHH/2014-EPS: - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Chhattisgarh, hereby nominates **Mrs. Nidhi Chhibber, IAS (CG:1994)** as the Chief Electoral Officer for the State of Chhattisgarh with effect from the date, she takes over charge and until further orders.

2. **Mrs. Nidhi Chhibber, IAS** shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of **Chhattisgarh**, which she may be holding before such assumption of office.

3. **Mrs. Nidhi Chhibber, IAS** while functioning as the Chief Electoral Officer, **Chhattisgarh** shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of **Chhattisgarh** except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By Order,

Sd/-
(Sumit Mukherjee)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.